

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चितरडीह, थाना-जमुआ, थाना सं०-460, अंचल-जमुआ, जिला-गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा ए०डी०बी० सम्पोषित पचम्बा-जमुआ-श्रवण (पैकेज-2) पथ परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-चितरडीह, थाना-जमुआ, थाना सं०-460, अंचल-जमुआ, जिला-गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.1995 एकड़ यानि 0.0807 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....


क्र. सं.	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	17	1103	रैयती	कृषि	0.0225	सुनील कुमार वगैरह पिता स्व० कुलवन्त सहाय	प्लॉट नं. 1102	प्लॉट नं. 1103	प्लॉट नं. 1104	प्लॉट नं. 1102
2	17	1108	रैयती	कृषि	0.0300	भोला प्रसाद पिता स्व० भागवत लाल	प्लॉट नं. 1108	प्लॉट नं. 1108	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1107
3	17	1110	रैयती	कृषि	0.0150	जिवलाल साव वो बालदेव साव पिता भुनेश्वर साव	प्लॉट नं. 1110	प्लॉट नं. 1108	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1108
4	17	1112/1	रैयती	कृषि	0.0320	अंजनी देवी पति स्व० दिनेश्वर पाठक उर्फ दिनेश पाठक	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1114	प्लॉट नं. 1112
5	17	1112/2	रैयती	कृषि	0.0250	रंजीत कुमार सिन्हा पिता स्व० शैलजानन्द प्रसाद वो अखिलेश्वर प्रसाद वगैरह पिता स्व० कामेश्वरी प्रसाद	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1112	प्लॉट नं. 1114	प्लॉट नं. 1108
6	17	1114	रैयती	कृषि	0.0300	राजकुमार वगैरह पिता स्व० मोहन प्रसाद	प्लॉट नं. 1114	प्लॉट नं. 1114	प्लॉट नं. 1115	प्लॉट नं. 1112
7	17	1094	रैयती	कृषि	0.0350	संजय कुमार वगैरह पिता स्व० कुलवन्त सहाय	प्लॉट नं. 1095	प्लॉट नं. 1094	प्लॉट नं. 1095	प्लॉट नं. 1093
8	17	1097	रैयती	कृषि	0.0100	गंगाधर साव पिता स्व० रूपलाल साव	प्लॉट नं. 1097	प्लॉट नं. 1097	प्लॉट नं. 1098	प्लॉट नं. 1096
कुल					0.1995					


यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं


पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।


भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेद्यन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।


अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


अमीन
गिरिडीह।


कान्चन
गिरिडीह।



जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।



अपर समाहर्ता
गिरिडीह।



समाहर्ता,
गिरिडीह।


ज्ञापांक...../भू0अ0 दिनांक.....


- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, जमुआ/जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अमीन
गिरिडीह।


कान्चन
गिरिडीह।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।


अपर समाहर्ता
गिरिडीह।


समाहर्ता,
गिरिडीह।